न्यायालय उपजिला कलैक्टर,अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– पवन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:–44/2019

दीप सिंह पुत्र महंगाराम जाति बावरी निवासी 28 एपीडी तहसील अनूपगढ़ हाल
1 डीडब्ल्यूएसएम तहसील नाचना जिला जैसलमेर ––अपीलान्ट

बनाम

1. जीतो पुत्री देवाराम पत्नी पूर्ण सिंह जाति बावरी निवासी 15 ओ तहसील करणपुर हाल गांव
   बंगला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा. (हरियाणा)।
2. वीर सिंह पुत्र देवाराम
3. जीतराम पुत्र देवाराम
4. राजपाल पुत्र राम सिंह जाति बावरी निवासीगण 28एपीडी तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर
5. सरपंच ग्राम पंचायत, 30 एपीडी तहसील व पंचायत समिति– अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर
6. तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
7. उप पंजीयक, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

––रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध इन्तकाल आदेश दिनांक 05.03.2019 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत चक 78 जीबी, जिसकी रूह से अपीलाधीन कृषि भूमि इन्तकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से स्वीकृत कर दर्ज किया गया, बमुराद मन्सुख्या

दिनांक – 20.12.19

::निर्णय::

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त अनवानी अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन इन्तकाल में दर्ज कृषि भूमि वाके 28 एपीडी तहसील अनूपगढ़ का मु. नं. 5 पत्थर नं. 320/404 में कुल 6.047 हैक्टर अपीलांट के दादा देवाराम पुत्र कान सिंह जाति बावरी के नाम से थी। अपीलांट के दादा श्री देवाराम की निर्वसीयत मृत्यु हुई है। अपीलांट के दादा श्री देवाराम के देहान्त के उपरांत उसके कुल सात वारिस जीतो रेस्पोडेन्ट सं. 1, राम सिंह, महंगाराम (अपीलांट का पिता), करतार सिंह, वीर सिंह, जीतराम, सम्भों उर्फ श्यामकौर हैं जिन्हें उक्त कृषि भूमि विरास्तन बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई थी। उक्त देवाराम के वारिसों में से महंगाराम, रामसिंह, करतार सिंह, सम्भों उर्फ श्याम कौर का स्वर्गवास हो चुका है। उक्त देवाराम के वारिसों में से रेस्पोडेन्ट सं. 1 जीतो ने उक्त कृषि भूमि में से अपने 1/7 हिस्सा जरिये पंजीकृत दस्तबरदारी दिनांक 22.5.14 के अपने हकीकी भाईयों महंगाराम, वीर सिंह, जीतराम पिसरान देवाराम व हकीकी भतीजों नानकराम–राजपाल पिसरान देवाराम, बलवन्त सिंह–कृष्ण सिंह पिसरान करतार सिंह के पक्ष में बहिस्सा बराबर दस्तबरदारी कर हकत्याग कर दिया था और कब्जा

Scanned by CamScanner

भूमि सौंप दिया था। उक्त पंजीकृत दस्तबरदारी दिनांक 22.5.2014 आज रोज तक वैध एवं प्रभावी है। तदुपरांत रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4 ने आपस में षडयंत्रीय योजना रचकर स्वयं को सदोष लाभ पहुंचाने व अपीलांट व अन्य को सदोष हानि पहुंचाने के बेईमानीपूर्वक आशय व लालचवश रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 के पक्ष में उक्त रकबा की गुप-चुप तरीके से अपीलांट व अन्य वारिसान को बिना बताये पुनः दस्तबरदारी दिनांक 7.1.2019 को निष्पादित कर दिनांक 8.1.2019 को पंजीकृत करवा कर उसके आधार पर नामान्तरण संख्या 207 दिनांक 5.3.2019 को ग्राम पचांयत 30 एपीडी से स्वीकृत करवा लिया है जो गलत, विधि विरूद्ध, अवैध, शून्य एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने एवं अपीलाधीन इन्तकाल एकपक्षीय तौर पर अपीलांट को बिना सुने, बिना नोटिस दिए व बिना जांच किए, विधिक प्रावधानों के विपरीत स्वीकृत किया है। अपीलाधीन नामान्तरण मिलीभगत कर स्वीकृत करवाया है जबकि पूर्ववर्ती दस्तबरदारी दिंनाक 22.5.2014 मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 पक्षकार थे तथा उन्हे दस्तबरदारी दिंनाक 22.5.2014 की पूर्ण जानकारी थी। उक्त दस्तावेज दस्तबरदारी निष्पादन दिनांक 7.1.19 पंजीयन दिनांक 8.1.2019 एवं अपीलाधीन इन्तकाल सं. 207 Illegal, non est and void intio है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलाधीन इन्तकाल में दर्ज कृषि भूमि की स्वयं ने स्वेच्छया दिनांक 22.5.2014 को दस्तबरदारी निष्पादित कर पंजीकृत करवाई है और दिनांक 22.5.2014 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अपीलाधीन इन्तकाल में दर्ज कृषि भूमि में समस्त हक व अधिकार समाप्त हो गए हैं। अपीलाधीन इन्तकाल में दर्ज कृषि भूमि के पूर्ववर्ती दस्तबरदारी दिनांक 22.5.2014 के प्रभाव में रहते हुए पश्चातवर्ती दस्तावेज दस्तबरदारी निष्पादन दिनांक 7.1.2019 पंजीयन दिनांक 8.1.2019 आंरभ से शून्य, अवैध, निष्प्रभावी है जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और पूर्व में निष्पादित व पंजीकृत दस्तावेज दस्तबरदारी 22.5.14, पश्चातवर्ती दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांकित 7.1.2019 पंजीयन दिनांक 8.1.2019 पर प्रभावी होगी। उक्त पश्चातवर्ती दस्तावेज दस्तबरदारी के आधार पर स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरण काबिल निरस्ती के है। दस्तबरदारी दिनांक 22.5.14 के आधार पर इंतकाल करवाने के लिए अपीलांट के पिता श्री महंगा राम ने अपने जीवनकाल में तथा उनके देहान्त के उपरांत अपीलांट ने तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) अनूपगढ़ के समक्ष दस्तबरदारी की फोटो प्रति के साथ आवेदन पेश किया लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया गया अन्यथा भी विधि के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार एवं राज्य सरकार व उच्च अधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देशो के मध्यनजर भी यह संबंधित तहसीलदार एवं राजस्व कर्मचारियों की ड्यूटी मानी गई है कि दस्तबरदारी होते ही उसके इंतकाल की कार्यवाही को अंजाम देवें यानि Keeping the land record correct and upto date etc. reflecting the rights of persons in accordance with law, is the duty of the state. अतः इस आधर पर अपीलाधीन इंतकाल काबिल निरस्ती के है। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकॉर्डस् रूल्स) 141 के अनुसार तहसीलदार प्रतिमाह रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार से भूमियों के समस्त हस्तान्तरणों के बारे में समस्त रजिस्ट्रीशुदा दस्तावेजों के विवरण प्राप्त करेगा नामान्तरण दर्ज करने का दायित्व संबंधित तहसीलदार एवं उसके अधिनस्थ ऑफिस कानूनगो, संबंधित सर्किल भू.अ. निरीक्षक एवं संबंधित पटवारी की है। जिससे भी स्पष्ट है कि संबंधित तहसीलदार एवं राजस्व कर्मचारियों की ड्यूटी मानी गई है कि दस्तबरदारी होते ही उसके इंतकाल की कार्यवाही को अंजाम देवें। अपीलांट को आक्षेपित अपीलाधीन इंतकाल के बारे मे पूर्व मे कोई जानकारी नही थी अपीलांट ने पूर्ववर्ती दस्तबरदारी दिनांक 22.5.14 के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने तहसील कार्यालय, अनूपगढ़ में दिनांक 1.5.2019 को पुछताछ की तो

Scanned by CamScanner

अपीलांट को उक्त आक्षेपित इंतकाल के बारे मे सर्वप्रथम जानकारी हुई जिस पर अपीलांट द्वारा आक्षेपित इंतकाल की पटवारी हल्का से सम्पर्क कर अगले रोज दिनांक 3.5.2019 को प्राप्त कर तदपुरांत अपने अधिवक्ता से मिलकर विधिक राय ली तो अपीलांट के अधिवक्ता ने बताया कि आक्षेपित इंतकाल को निरस्त करवाने के लिये अलग से सक्षम न्यायालय मे अपील पेश करनी पड़ेगी तथा आक्षेपित इंतकाल एकपक्षीय आदेश है जिसे कानूनन किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। चूंकि अपीलांट ग्रामीण व्यक्ति है जिनको उक्त आक्षेपित इंतकाल व उसके संबंध में कानूनी प्रावधानों की पूर्व में कोई जानकारी नही थी। अपीलांट के अधिवक्ता की कानूनी राय पर इंतकाल को निरस्त करने हेतु अपील पेश करने की जानकारी हुई है तदुपरांत अपीलांट द्वारा रूपये पैसे का इंतजाम कर अपील बिना किसी देरी के जानकारी की दिनांक से अंदर मियाद पेश की जा रही है आक्षेपित इन्तकाल दर्ज होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 विवादित भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है, इस कार्य मे रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 भी सहयोग कर रहे है। यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1ता 4, 6 व 7 अपने अवैध आशय मे कामयाब हो गये तो अपीलांट को अपूर्णिय क्षति होगी अपीलांट का यह विधिक अधिकार है कि सम्पति सम्बन्धी अधिकारो की रक्षा करे। अपीलाधीन इन्तकाल आदेश के मौजूदा सूरत मे कायम रहने से अपीलांट के हक विपरीत रूप से प्रभावित होते अपीलाधीन इन्तकाल अपीलांट को सुने बिना एकपक्षीय तौर पर स्वीकृत किया गया है जिसकी अब दिनांक 1.5.2019 को जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा पूर्ण कोर्ट फीस पर अंदर मियाद अपील पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जानकर अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 207 दिनांक 5.3.2019 को निरस्त/अपास्त फरमाया जावे तथा पूर्ववर्ती दस्तावेज पंजीकृत दस्तबरदारी दिनांक 22.5.2014 के आधार पर अपीलांट व अन्य के नाम से नामान्तरण दर्ज करने का आदेश दिया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1ता4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आयें। रेस्पोडेंट संख्या 5 एवं 7 बावजूद तामिल अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 जीतो ने उक्त कृषि भूमि में से अपने हिस्सा की भूमि जरिये पंजीकृत दस्तबरदारी दिनांक 22.5.14 के अपने हकीकी भाईयों महंगाराम, वीर सिंह, जीतराम पिसरान देवाराम व हकीकी भतीजों नानकराम–राजपाल पिसरान देवाराम, बलवन्त सिंह–कृष्ण सिंह पिसरान करतार सिंह के पक्ष में बहिस्सा बराबर दस्तबरदारी कर हकत्याग कर दिया था और कब्जा भूमि सौंप दिया था। उक्त पंजीकृत दस्तबरदारी दिनांक 22.5.2014 आज रोज तक वैध एवं प्रभावी है। पूर्ववर्ती दस्तबरदारी के प्रभाव में रहते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 के पक्ष में उक्त रकबा की गुप–चुप तरीके से एवं एकपक्षीय तौर पर अपीलांट व अन्य वारिसान को बिना बताये पुनः दस्तबरदारी दिनांक 7.1.2019 को निष्पादित कर दिनांक 8.1.2019 को पंजीकृत करवा कर उसके आधार पर नामान्तरण संख्या 207 दिनांक 5.3.2019 को ग्राम पचांयत 30 एपीडी से स्वीकृत करवा लिया है। जबकि पूर्ववर्ती दस्तबरदारी दिनांक 22.5.2014 मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 पक्षकार थे तथा उन्हे दस्तबरदारी दिनांक 22.5.2014 की पूर्ण जानकारी थी। पश्चातवर्ती दस्तबरदारी निष्पादन दिनांक 7.1.19 पंजीयन दिनांक 8.1.2019 एवं उसके आधार पर स्वीकृत अपीलाधीन इन्तकाल सं. 207 Illegal, non est and void intio है। अपीलांट ने पूर्ववर्ती दस्तबरदारी दिनांक 22.5.14 के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने तहसील कार्यालय, अनूपगढ़ में दिनांक 1.5.2019 को पुछताछ की तो अपीलांट को उक्त आक्षेपित

Scanned by CamScanner

इंतकाल के बारे मे सर्वप्रथम जानकारी हुई। जानकारी की दिनांक से अपील बिना देरी के अंदर मियाद पेश है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आलौच्य इन्तकाल 207 दिनांक 05.03.2019 को निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने बहस मे अपीलान्ट की अपील व अपीलान्ट अधिवक्ता के तर्को का विरोध करते हुए तर्क दिया कि पश्चातवर्ती दस्तबरदारी के आधार पर सही पंजीकृत किया गया है। पूर्ववर्ती दस्तबरदारी के आधार पर इंतकाल नही करवाने का कोई कारण नहीं बताया गया है। जीतों दुबारा दस्तबरदारी करने के लिए सक्षम थी तथा पश्चातवर्ती दस्तबरदारी सही है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नही है तथा इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील पक्षकारान की बहस एवं रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों पर मनन किया गया। न्यायालय की राय में अपील अपीलार्थी को स्वीकार किया जाना न्यायोचित हैं क्यों कि रेस्पोडेंट संख्या 1 जीतो वाद ग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग दिनांक 22.05.14 को जरिये पंजीकृत दस्तबरदारी कर चुकी थी। जो दस्तोवज आज तक प्रभाव में है। इसलिए जीतों पश्चातवर्ती दस्तबरदारी दिनांक 07.01.19 पंजीयन दिनांक 08.01.2019 निष्पादित एवं पंजीयन करने में समर्थ नहीं थी। पूर्ववर्ती दस्तबरदारी के प्रभाव में रहते हुए पश्चातवर्ती दस्तबरदारी आरम्भ से ही शून्य है। पूर्ववर्ती दस्तबरदारी पश्चातवर्ती दस्तबरदारी पर प्रभावी है। इसलिए आरम्भ से ही शून्य पश्चातवर्ती दस्तबरदारी के आधार पर दर्ज अपीलाधीन नामांतरण तस्दीक करना न्यायसंगत नहीं है। अपीलाधीन नामांतरण निरस्त होने योग्य है तथा पूर्ववर्ती दस्तबरदारी के आधार पर नामान्तरण का आदेश दिया जाना न्यायोचित है।

::आदेश ::

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत 30 एपीडी के अपीलाधीन इन्तकाल सं. 207 दिनांक 05.03.2019 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार अनूपगढ़ को पूर्ववर्ती दस्तबरदारी के आधार पर नामान्तरण दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned by CamScanner